



**समाहरणालय दुमका**  
(कल्याण शाखा)

**आदेश**

**कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालयों में बाह्य श्रोत से चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की सेवा प्राप्त करने हेतु विज्ञापन :-**

सरकार के संयुक्त सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1660, दिनांक 07.06.2017 के द्वारा आवासीय विद्यालयों में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की सेवा बाह्य श्रोत से प्राप्त करने का निदेश है। उक्त निदेश के आलोक में दुमका जिलान्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में निम्न प्रकार रिक्त पदों पर बाह्य श्रोत से सेवा प्राप्त किया जाना है।

क्र०	पद	स्वीकृत पद
1	अनुसेवक	15
2	रसोईया	23
3	झाडुदार	11
4	रात्रि प्रहरी	3

उपरोक्त स्वीकृत पद पर संविदा कर्मियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

अतः इच्छुक एजेन्सी से निम्न शर्तों के साथ दिनांक 9/4/2024 को 12:00 बजे मध्याह्न तक बाह्य श्रोत से सेवा देने हेतु जिला कल्याण कार्यालय, दुमका का सील बन्द लिफाफे में आवेदन प्राप्त किया जाएगा, तथा उसी दिन 1:00 बजे अपराह्न में परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, दुमका के समक्ष चयन हेतु रखा जाएगा। जिसमें एजेन्सी एवं उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

**आवश्यक शर्त :-**

1. कल्याण विभाग से निर्धारित मेनु के अनुसार नास्ता एवं भोजन बनाने की जानकारी होनी आवश्यक है।
2. एजेन्सी को सेवा देने हेतु एक ही दर अंकित करना होगा जो सभी प्रकार के करों सहित होगा। अलग अलग दर मान्य नहीं होगा।
3. सभी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन झारखण्ड सरकार के श्रम विभाग के अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदुरी से कम नहीं होना चाहिए। भुगतान बैंक खाता के माध्यम करना होगा।
4. आवंटन के अभाव में चयनित कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को मजदुरी का भुगतान प्रत्येक माह करना पड़ेगा आवंटन प्राप्त होने पर कम्पनी को भुगतान किया जाएगा। चयनित कम्पनी द्वारा सभी कर्मचारियों को प्रत्येक माह अपने खाते से मजदुरी भुगतान प्रमाण पत्र देने के पश्चात विपत्र अभिश्रव/विपत्र प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात कम्पनी के विपत्र का भुगतान किया जायगा।

**तकनीकी बीड की शर्त :-**

1. एजेन्सी के पास बाह्य श्रोत से सेवा देने हेतु निबंधन होना आवश्यक है। आवेदन के साथ निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदादाताओं को निविदा के साथ अग्रधन की राशि के रूप में जिला कल्याण पदाधिकारी, दुमका के पदनाम से 1,00,000.00 (एक लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। अन्य किसी तरीके से अग्रधन की राशि स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उक्त निविदा रद्द समझा जाएगा।

3. निविदादाताओं को एजेन्सी का GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं अद्यतन विवरणी।
4. निविदादाता को उपायुक्त स्तर का अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
5. पैन कार्ड का अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
6. विगत तीन वर्ष का ITR (Income Tax Return)
7. निविदा के साथ काली सूची में नाम दर्ज नहीं रहने का अद्यतन शपथ पत्र मूल में देना अनिवार्य होगा।

निविदा की अन्य शर्तें :-

1. वयनित एजेन्सी को आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर 100 (एक सौ) रू० का नन-जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।
2. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।



जिला कल्याण पदाधिकारी,  
दुमका